

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

(जुलाई, 2020 सत्र)

(20 जुलाई, 2020 से 24 जुलाई, 2020 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तरों (सदन की बैठक) के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

वर्ग-1

पंचायत एवं ग्रामीण विकास	मुख्यमंत्री	20 जुलाई, 2020	13 जुलाई, 2020
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	— " —		
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	— " —		
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	— " —		
जेल	— " —		
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	— " —		
नर्मदा घाटी विकास	— " —		
पर्यटन	— " —		
गृह	गृह मंत्री		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	— " —		

वर्ग-2

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	मुख्यमंत्री	21 जुलाई, 2020	14 जुलाई, 2020
अध्यात्म	— " —		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	— " —		
विमानन	— " —		
लोक सेवा प्रबंधन	— " —		
अप्रवासी भारतीय	— " —		
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	— " —		
जनसम्पर्क	— " —		
सामान्य प्रशासन	— " —		
संसदीय कार्य	— " —		
वित्त	— " —		
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	— " —		
विधि और विधायी कार्य	— " —		
किसान कल्याण तथा कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री		

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग-3			
चिकित्सा शिक्षा	मुख्यमंत्री	22 जुलाई, 2020	15 जुलाई, 2020
संस्कृति	—''—		
आयुष	—''—		
वाणिज्यिक कर	—''—		
महिला एवं बाल विकास	—''—		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	—''—		
राजस्व	—''—		
परिवहन	—''—		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री		
सहकारिता	—''—		
वर्ग-4			
लोक निर्माण	मुख्यमंत्री	23 जुलाई, 2020	16 जुलाई, 2020
पर्यावरण	—''—		
ऊर्जा	—''—		
खेल और युवा कल्याण	—''—		
उच्च शिक्षा	—''—		
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	—''—		
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	—''—		
श्रम	—''—		
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री		
वर्ग-5			
पशुपालन	मुख्यमंत्री	24 जुलाई, 2020	17 जुलाई, 2020
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	—''—		
स्कूल शिक्षा	—''—		
खनिज साधन	—''—		
वन	—''—		
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़	—''—		
जनजातीय कल्याण	—''—		
नगरीय विकास एवं आवास	—''—		
सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	—''—		
अनुसूचित जाति कल्याण	—''—		
आदिमजाति कल्याण	आदिमजाति कल्याण मंत्री		

- नोट.— 1. विवरण के स्तम्भ (3) एवं (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी।
2. प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त प्रारूप में ही भेजें।
3. प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक स्तम्भ (4) में दर्शाया गया है, नियत दिनांक तक उत्तर अनिवार्यतः भेजे जायें।
4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों को टीप : "मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ" के साथ प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा।
5. प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे तथा यदि संलग्न परिशिष्ट की अधिकतम पृष्ठ संख्या 3 है तो उसकी भी ऑनलाईन स्वच्छ/पठनीय प्रति ही प्रेषित की जाये, किन्तु यदि परिशिष्ट की पृष्ठ संख्या तीन पृष्ठ से अधिक हो तो उसकी पांच प्रतियां सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर उत्तर प्रेषण के दिनांक को ही विधान सभा सचिवालय में ऑफलाईन (हार्ड कापी) भेजी जायें।
6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण / परिवर्तन / पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए, उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचारयोग्य नहीं होंगे।

नोट.—

सभी विभागों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार की गार्ड-लाईन को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में हार्डकापी के रूप में प्रेषित किये जाने वाले पुस्तकालय परिशिष्ट के वाहक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क एवं ग्लब्स पहनकर ही साहित्य का प्रदाय करें।

5939
प्र-1 अ /2020

भोपाल, दिनांक 22/6/2020

प्रतिलिपि :-

- (1) मान. मुख्यमंत्री,
- (2) समस्त मंत्री, राज्यमंत्री,
- (3) मुख्य सचिव,
- (4) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव.

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.